आदिलाबाद में आदिवासी भारत महासभा (ABM) के दूसरे सम्मेलन हेतू दूसरी योजना बैठक के विवरण

बैठक से पूर्व चर्चा के माध्यम से उभरे 14 मार्च 2022 के Google meet हेतू निम्नलिखित एजेंडा पर विचार विमर्श हुआ :

1. स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और 73वां संशोधन और 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, AFPSA क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में इसकी अभिव्यक्ति जहां आदिवासी/वनवासी व जंगलो पर आश्रित समुदाय मौजूद हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का अलग-अलग अर्थ होता है जहाँ चरवाहों को स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करनी होती है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और अन्य क्षेत्रों के अनुभव से रूपरेखा को परिभाषित करने में मदद मिलनी चाहिए।
3. समान लेकिन भिन्न मुद्दे मछुआरे समुदायों को प्रभावित करने वाली जिसे सुंदरबन में DMF द्वारा तेजी से पहचाना गया है और इस ABM का एक हिस्सा हैं। तरुण कांति बोस की दो रिपोर्टों में उनके द्वारा उजागर की गई बातों का सार है।
4. भूमि अधिग्रहण, खनन, अभयारण्य एक और प्रमुख मुद्दा प्रदान करते हैं।
5. दिहाड़ी मजदूरों का पलायन, बाल और महिलाओं की तस्करी और आदिवासी प्रवासियों शहरों की तरफ रोजगार हेतू आने वाले मुद्दे एक और चिंता का विषय है।

बैठक प्रतिभागियों को कुछ मुद्दों को उजागर करने का मौका देगी, जबकि उन लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा जो छोड़े गए मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। यह सम्मेलन के एजेंडे और विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों की अनूठी भूमिका को परिभाषित करने के लिए पहला मोड प्रदान करेगी। आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से उभरने वाले मुद्दों, भद्राचलम पेपर मिलों के लिए नीलगिरी के वृक्षारोपण के कारण मोनो कल्चर भी शामिल होंगे। प्रत्येक क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं। नर्मदा विस्थापित, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण विस्थापन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर कुछ मुद्दे हैं।

बैठक में 14 राज्यों के उन्नीस लोगों ने भाग लिया (रिपोर्ट के अंत में सूची)। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

i. 2 और 3 मई को आदिलाबाद में संभावित रूप से निर्धारित बैठक की तिथि 27 मार्च को चर्चा के बाद निश्चित की जाएगी।
ii. त्रिपुरा से लकड़ी माफिया के कामकाज से जुड़े मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। स्वायत्त ग्राम परिषदों की उपस्थिति के बावजूद वन विभाग द्वारा जंगलो को नियंत्रित किया जाता है, जिसका लकड़ी माफिया के साथ गठजोड़ है।

iii. मणिपुर की स्थितियों, जिसमें 90% पहाड़ी क्षेत्र और 10% घाटियाँ हैं, पर चर्चा की गई और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अफीम की बड़े पैमाने पर खेती की गई। म्यांमार, मिजोरम और नागालैंड से लगने वाला क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की तरह तेजी से ड्रग्स का केंद्र बनता जा रहा है।

iv. उत्तर पूर्व में AFSPA के निहितार्थ को 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव के 14 निर्दोष गांवों की हत्या के हालिया उदाहरण के साथ साझा किया गया था। इस घटना का विवरण व्हाट्स ऐप प्लानिंग ग्रुप पर पोस्ट किया गया था। इस घटना के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

- घटना से महज 9 दिन पहले शादी कर चुके ओटिंग के लोगों और एक मृतक की विधवा को एकता व सह-हृदयता (Solidarity) पत्र।
- 29 और 30 अप्रैल 2022 को दीमापुर में होने वाले North East Indigenous People's Forum की 2 दिवसीय बैठक में हिस्से लेने हेतू ABM के प्रतिनिधि। इस मंच के अन्य सदस्य Google कनेक्शन के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

v. विशाखापत्तनम स्थित धरित्री के नानाजी ने आंध्र प्रदेश के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में CFR के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को उठाया। वन अधिकार समितियों का गठन नहीं किया गया है। हालांकि बांस और सागौन वाली बहुत सी सामुदायिक भूमि हैं, लेकिन इन जमीनों पर CFR खिताब नहीं दिए गए हैं। तरुण कांति बोस द्वारा FRA की स्थिति और उल्लंघन पर रिपोर्ट में अधिक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध है।

vi. केशव गुरुनुले गढ़चिरौली,महाराष्ट्र ने CFR खिताब देने के बाद वन विभाग के उल्लंघन की बात कही। वन अधिकार संरक्षण के गठन के बावजूद, वन विभाग ने ग्राम सभा के वन और वित्त का अप्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। CFR के बाद के कई मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह तथ्य कि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में CFR खिताब नहीं दिए गए हैं, चिंता का विषय है।

vii. छत्तीसगढ़ के अगनू साहू के साथ चर्चा में जो उपस्थित नहीं हो सके, वहां भी इसी तरह के मुद्दों की सूचना दी गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि COVID 19 अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में CFR छत्तीसगढ़ के लगभग 30% जंगलों को कवर करते हैं, हालांकि इसके बावजूद इन भूमि पर अधिकार सीमित हैं। खनन और अन्य 'विकासात्मक गतिविधियों' के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भी अधिकार नहीं दिए गए हैं।

viii. केरल के वायनाड के दिनेश ने FRA को लागू न करने और केरल में आदिवासियों के हाशिए पर जाने से संबंधित मुद्दों की ओर इशारा किया।

ix. तमिलनाडु के रेंगनाथन ने तमिलनाडु के लिए इसी तरह के मुद्दों की ओर इशारा किया, इसके अलावा उन्होंने पीएसीएल द्वारा 15,000 परिवारों को प्रभावित करने वाली 9000 एकड़ जमीन के अवैध अधिग्रहण की बात की।

x. गुजरात के छोटा उदेपुर के नंदू भाई ने धारा 5 के तहत वन की रक्षा के अपने अधिकारों को मान्यता नहीं देते हुए, नस्वाड़ी के 41 गांवों के लिए सीआर खिताब के सीमित

आवेदन की ओर इशारा किया। उन्होंने कावंत में एक प्रस्तावित खनन परियोजना की भी बात की, जो संभावित रूप से विस्थापित हो सकती है। 100 गांवों के लोगों को विस्थापित करें।

xi. सुरेश और रमेश ने तेलंगाना में इसी तरह के मुद्दों और ग्राम सभाओं के गैर-कार्यवाही, 70 में से 1 के तहत दिए गए कानूनी प्रावधानों, क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले नीलगिरी के मोनोकल्चर वृक्षारोपण पर बात की। रमेश ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राशन कार्ड, मतदान के अधिकार से संबंधित अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 2005 के बाद वहां बसे लोगों के लिए एफआरए के प्रावधानों को लागू न करने के कारण जंगल में आजीविका से संबंधित मुद्दे अभी भी लंबित थे। मान्यता से संबंधित मुद्दे चूंकि आदिवासी, शिक्षा और अन्य सुविधाएं अभी भी लंबित थीं।

xii. चूंकि यहां दी गई अधिकांश रिपोर्ट जिसे विस्तार से तरुण कांति बोस द्वारा लिखे गये FRA के क्रियान्वन व उल्लंघन पर रिपोर्ट में शामिल किया गया है, इसलिए यह रिपोर्ट आदिलाबाद में प्रस्तावित सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी।

अगली योजना बैठक 27 मार्च 2022 को प्रस्तावित। आदिलाबाद सम्मेलन में जारी होने वाले न्यूजलेटर का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा

Google meet में शामिल साथी

1. केशव गुरुनुले - SHRUTI, महाराष्ट्र
2. जगन अदा जगन- सदस्य ABMTSC, तेलंगाना
3. डॉ गोल्डी जॉर्ज – दलित आन्दोलन के एक्टिविस्ट, छत्तीसगढ़
4. नानाजी - धरित्री, आंध्र प्रदेश
5. मुनीश कुमार – समाजवादी लोक मंच, उत्तराखंड
6. कमल गोपीनाथ – पत्रकार व एक्टिविस्ट कर्नाटक
7. दिनेश - JWALA केरल
8. रेंगनाथन -VRDP, तमिलनाडु
9. निन्थौखोंग्जम इबुंगोचौबी – पत्रकार व Spokesperson, North East Indigenous Forum,मणिपुर
10. सिद्धार्थ भट्टाचार्य – शिक्षक, पत्रकार व एक्टिविस्ट, त्रिपुरा
11. सुरेश किनाका – अध्यक्ष, ABM तेलंगाना राज्य समिति
12. रमेश थोलेम – उपाध्यक्ष, ABM तेलंगाना राज्य समिति
13. हेमंत दास - संयोजक, झारखंड मजदूर किसान यूनियन {JKMU)
14. प्रभात कुमार सिन्हा - सचिव राजस्थान किसान मजदूर संघ, सदस्य किसान समन्वय समिति राजस्थान और संयोजक राजस्थान असंगठित श्रमिक अधिकार अभियान ICAN और संयोजक अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति
15. तरुण कांति बोस – पत्रकार व एक्टिविस्ट, दिल्ली
16. फिरोज खान – एक्टिविस्ट, कोटा, राजस्थान

17. नादुभाई रथवा - सदस्य फेनिमाता जय सृष्टि मंडल और एक्टिविस्ट, आदिवासी जन उत्थानट्रस्ट
18. शन्नाभाई - सदस्य फेनैमाता जय सृष्टि मंडल और एक्टिविस्ट आदिवासी जन उत्थान ट्रस्ट।
19. वीरेन लोबो - सदस्य अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति (ABMKSS)

----------x----------